न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2016

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी ....प्रार्थी....

बनाम

1— महावीर जैन पुत्र इन्दर चन्द जैन निवासी पुष्कर रोड अजमेर :— उचित मूल्य दुकान का पताः— जी ब्लॉक 436 / 1, माकडवाली रोड वैशाली नगर, अजमेर

अप्रार्थीगण........

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;–

1— श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी पैराकार सरकार
2— श्री उत्तम गुरूबक्षानी अप्रार्थी संख्या

आदेश **दिनांक 26.07.2023**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.8.2016 को 69 / 50 सिविल लाइन्स अजमेर में अवैध रूप से केरोसीन जैसे पेट्रोलियम तरल के भण्डारण की सूचना सिविल लाइन्स थाना, अजमेर के उपनिरीक्षक श्री पूर्णाराम जी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को कार्यालय में दूरभाष पर दी गई। मौके पर रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री प्रियंका कुमावत प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुॅचे । मौके पर सिविल लाइन थाना, अजमेर के सब इसंपेक्टर श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित मिले। उन्होने बताया कि थाना सिविल लाइन्स में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण के बारे में एक शिकायत मिलने पर वे मौके पर पहुॅचे एवं ड्रमों में केरोसीन जैसी गंध वाला तरल पदार्थ भण्डारित होने से एवं रसद विभाग से सबंधित होने के कारण, रसद कार्यालय अजमेर को सूचित किया गया । मौके पर 69 / 50 सिविल लाइन्स, अजमेर जो कि श्रीमती शकुन्तला राठौड के नाम से है। इस मकान की बाउन्ड्री के अन्दर के आस पास खुले पडे स्थान पर दांयी तरफ के गोदाम में लोहे के ड्रम भण्डारित पाये गये। मौके पर ही दूरभाष पर जिला रसद अधिकारी को सूचित किया गया । गोदाम का मौका मुआयना करने पर वहॉ 10 ड्रम 220 लिटर क्षमता वाले केरोसीन जैसी गंध वाले तरल पेट्रोलियम पदार्थ से पूरे भरे थे । एक आधा कटा खाली ड्रम भी पडा था। मौके पर उपस्थित व्यक्ति महावीर जैन ने बताया कि यह गोदाम उसने किराये पर ले रखा है। वह केरोसीन टैकर वालो से लेता है व चाय व होटल वालो को बेचने की बात कही। महावीर जैन की अजमेर शहर में माकडवाली रोड पर उचित मूल्य दुकान है। दुकान की प्राधिकार पत्र संख्या 430 / 2000 है। महावीर जैन ने अपने बयान में जो कि

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

मेरे द्वारा लिपिबद्व किया गया है, उसमें कहा कि मै तारपीन तेल (एमटीओ) का काम भी करता हूँ। यह तेल टैकर वाले स्वयं ही लाते है। मै टैकर वालो से खरीदता हूँ। मै टैकर वालो से यह तेल 30 रूपये के भाव से लेता हूँ व आगे पेंट वालों, ढाबे, चाय वालो को 33-34 रूपये में के भाव से बेच देता हूँ। मौके पर ड्रमो में से नियमानुसार सैम्पल लिया गया जिसकी फर्द्व सैम्पल अलग से लिखि गई। महावीर जैन द्वारा दिनांक 31.08.2016 को कार्यालय में खरीद का बिल प्रस्तुत किया गया जो लक्ष्मी ट्रेडर्स झोटवाडा जयपुर नाम की फर्म का है । वक्त निरीक्षण केरोसीन की गंध वाले देखने में सफेद केरोसीन से समानता रखने वाले पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया जाकर अग्रिम आदेश तक 69/50 के निवासी श्री विजय सिंह चौहान जिन्होने अपने आपको मकान मालिक श्रीमती शकुन्तला राठौड का भतीजा बताया को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी पर दिये गये। सैम्पल को एफएसएल जयपुर हेतु इस बाबत जॉच में भेजा गया है कि जब्त पदार्थ सार्वजनिक प्रणाली का केरोसीन/सफेद केरोसीन/अन्य पेट्रोलियम पदार्थ के बाबत रिपोर्ट करे। इस तरह महावीर जैन पुत्र इन्दर चन्द जैन निवासी पुष्कर रोड द्वारा प्रथम दृष्टया अवैध रूप से सफेद केरोसीन का भण्डारण एवं व्यापार किया जाकर केरोसीन (रेस्ट्रिक्शन आफन यूज एण्ड फिक्सेशन) ऑफ सीलिग प्राइस आदेश 1993 के खण्ड 3 बी आरटीएएल 1980 की धारा 3 एवं 10 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए (आवश्यक वस्तु अधिनियम) प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्त 2200 लि0 केरोसीन को राजसात करावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन करने पर उभय पक्षो को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी के किराये के मकान की बाउन्ड्री के अन्दर के आस पास खुले पडे स्थान पर दांयी तरफ के गोदाम में लोहे के ड्रम भण्डारित पाये गये। गोदाम का मौका मुआयना करने पर वहॉ 10 ड्रम 220 लिटर क्षमता वाले केरोसीन जैसी गंध वाले तरल पेट्रोलियम पदार्थ से पूरे भरे थे । एक आधा कटा खाली ड्रम भी पडा था। अप्रार्थी के पास किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नही पाया गया । अवैध रूप से सफेद केरोसीन का भण्डारण एवं व्यापार किया जाकर केरोसीन (रेस्ट्रिक्शन आफन यूज एण्ड फिक्सेशन) ऑफ सीलिग प्राइस आदेश 1993 के खण्ड 3 बी आरटीएएल 1980की धारा 3 एवं 10 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तहत जब्त 2200 लि0 केरोसीन को राजसात करावे।

अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया । अप्रार्थी अभिभाषक ने मोखिक निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की गलती बदनियति नही की गई। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्दमौका एवं जप्ती रिपोर्ट से प्रकट आया कि अप्रार्थी के किराये के मकान की बाउन्ड्री के अन्दर के आस पास खुले पडे स्थान पर दांयी तरफ के गोदाम में लोहे के ड्रम भण्डारित पाये गये। गोदाम का मौका मुआयना करने पर वहॉ 10 ड्रम 220 लिटर क्षमता वाले केरोसीन जैसी गंध वाले तरल पेट्रोलियम पदार्थ से पूरे भरे थे । एक आधा कटा खाली ड्रम भी पडा था। अप्रार्थी के

डॉ. भारती दीक्षित
जिला [illegible], अजमेर

पास किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नही पाया गया । अवैध रूप से सफेद केरोसीन का भण्डारण एवं व्यापार किया जाकर केरोसीन (रेस्ट्रिक्शन आफन यूज एण्ड फिक्सेशन) ऑफ सीलिग प्राइस आदेश 1993 के खण्ड 3 बी आरटीएएल 1980 की धारा 3 एवं 10 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिये 2200 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी अजमेर नियमानुसार उक्त केरोसीन का निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराई जावे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर